तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/6299/2005/जैसलमेर** **सुगनाराम बनाम नजीरखाँ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 24–6–2024

यह निगरानी राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23(2) के तहत् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23(2) के तहत चक 5 एसएलडी का मु0 नंबर 11/44 में से 24 बीघा 5 बिस्वा कमांड भूमि का दिनांक 27–2–2002 को पुख्ता कीमतन आवंटन किया गया । उक्त आवंटन के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–10–2005 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2005 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि आवंटित रकबा पर प्रथम हक अप्रार्थी का बनता है, गलत है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों के आवंटन को निरस्त किया जा रहा है, फिर भी अपील स्वीकार की है । प्रार्थी एक करीब काश्तकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जिसको किया गया आवंटन को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी को राजकीय रकबा नियमानुसार आवंटित हुआ था एवं किश्त जमा करवाने पर उसको नियमानुसार पट्टा भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/6299/2005/जैसलमेर** **सुगनाराम बनाम नजीरखाँ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जारी किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब पर गौर किए बिना अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने में त्रुटि कारित की है । उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने एक नियमित वाद उपायुक्त उपनिवेशन के यहां पर प्रश्नगत भूमि के बाबत प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 10–11–2003 को निरस्त कर दिया। उसके बाद अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे प्रस्तुत करने का वह अधिकारी नहीं था। उसकी अपील संधारण योग्य नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना प्रकरण को रिमाण्ड करने मे त्रुटि कारित की है । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27–2–2002 बहाल रखा जावे 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि अप्रार्थी को तहसीलदार द्वारा भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था जिसकी सनद जारी होकर राशि जमा होकर नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जा चुका था एवं कब्जा भी उसका ही है। लेकिन इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन प्रार्थी को कर दिया जो विधिसम्मत नहीं था। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों के आवंटन को निरस्त कर प्रकरण पुनः पात्रता की जांच एवं उक्त भूमि के पुख्ता आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु एवं प्रार्थी को अन्यत्र भूमि आवंटन किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6– हमने अभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी के पिता खमीशखां को राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक नंबर 33 एस.डी. के मुरब्बा नंबर 224/51 की 20 बीघा भूमि कमाण्ड व 4.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 4–10–1997 को किया गया जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 22–9–1997 को जमा कराई गई । इसी प्रकार प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत निर्णय दिनांक 27–2–2002 के अनुसार दिनांक 2–2–2002 को को 3 एसएलडी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/6299/2005/जैसलमेर** **सुगनाराम बनाम नजीरखाँ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुरब्बा नंबर 11/44 की 24.05 कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया । जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 19–9–2003 को जमा कराई गई । उक्त दोनों आवंटन में अप्रार्थी को पहले आवंटन हुआ है एवं प्रार्थी को बाद में हुआ है। अप्रार्थी के आवंटन निरस्त किए बगैर प्रार्थी को आवंटन किया। इस प्रकार भूमि खाली नहीं होने की स्थिति में भी भूमि का आवंटन प्रार्थी को किया गया जो विधिसम्मत नहीं था । अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को किए गए आवंटन के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील किए जाने पर उन्होंने भी अप्रार्थी का प्रथम हक दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायाल के निर्णय को निरस्त करने के साथ ही दोनों पक्षकार के आवंटन को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर अप्रार्थी की पात्रता की जांच कर उसके पुख्ता आवंटन की कार्यवाही करने एवं प्रार्थी को अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु निर्देश दिए है। उक्त निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिससे कि निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया सके । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । 8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	